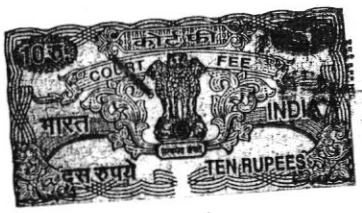

न्यायालय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनर्विलोकन आवेदन

PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2017/3291

CF-03/10/17

मुकेश पटेल कार्यालय बाबू
12-9-17

12-9-17

नवलसिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह रावत निवासी - 161, C.P. कॉलोनी मुरार, ग्वालियर

— आवेदक

विरुद्ध

1 - शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जयेन्द्रगंज लश्कर, ग्वालियर (म०प्र०)

2 - प्रदीप राव पुत्र श्री नवलसिंह राव - निवासी - सी.पी. कॉलोनी, मुरार

— अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 सहपठित धारा 32 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत है :-

(1) यह कि अनावेदक क्रमांक 1 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जयेन्द्रगंज ग्वालियर द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 प्रदीप राव के विरुद्ध 4,13,620/- रुपये की वसूली हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आर०आर०सी० प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार द्वारा प्र०क्र० 1/10-11/अ-6 में दर्ज कर अचल संपत्ति की विक्रय उद्घोषणा जारी कर दी गई तथा शाखा प्रबंधक को निर्देश दिये गये। श्रीमती अलका राव ने इस विरुद्ध आपत्ति द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होने के आधार पर आपत्ति की जिसे निरस्त किया गया।

(2)

(2) यह कि, तहसीलदार के दिनांक 28/4/2011 को आपत्ति की चुनौती अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त व श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से दस्तावेजों बिना अवलोकन किये अभिलेख के विपरीत आदेश दिनांक 10/8/2017 को निगरानी प्र०क्र० 2840-PBR/16 में पारित किया है, जो कि वहां लिखित एवं दस्तावेजों के अवलोकन को अभिलेख पर मौजूद होने के बावजूद, नजरअंदाज कर उक्त आदेश दिनांक 10/8/2017 पारित किया है जिसका पुनर्विलोकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2017/3291

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–10–2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं । पुनर्विलोकन आवेदन पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में उल्लिखित आधारों में से कोई भी ऐसा आधार आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिससे कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–8–17 का पुनर्विलोकन किया जा सके । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा वसूली की कार्यवाही से बचने के लिए यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है, जो कि उचित प्रकिया नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	